भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2503

03 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

धान की फसलों की क्षति

2503. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में त्रिशूर और पोन्नानी के कोल लैण्ड में लगातार बारिश के कारण धान की खेती बर्बाद हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार, इस नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): केरल में 2021-22 के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं/जोखिमों के कारण प्रभावित फसल क्षेत्र 0.24 लाख हेक्टेयर है। इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित फसल क्षेत्र का फसल-वार विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें नुकसान का आकलन करती हैं और पहले से ही उनके उपयोग के लिए रखे गए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। गंभीर प्रकृति की आपदा के मामले में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एसडीआरएफ के तहत 2021-22 के दौरान केरल को 335.20 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 251.20 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा: 84.00 करोड़ रुपये) आवंटित किया गया है। केन्द्रीय हिस्से की पहली किस्त 125.60 करोड़ रुपये जारी कर दी गई है।

*****